(6)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प012(13)राज–1/2019 जयपुर, दिनांक : 19/11/2019

परिपत्र

कुछ अधिकारियों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या अतिरिक्त कार्यभार के रूप में किसी राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारी पीठासीन अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय में लंबित प्रकरणों मे सुनवाई कर निर्णय कर सकता है अथवा नहीं।

इस मामले का परीक्षण किया गया है। इस संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 व 29, जो निम्नानुसार है, प्रासंगिक है –

28. स्थायी रिक्त स्थानों पर अस्थायी रूप से अनुगामी होने वाले अधिकारी –

जब किसी आयुक्त, जिलाधीश अथवा उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार का पद स्थायी रूप से रिक्त होने के फलस्वरूप कोई अधिकारी किसी डिवीजन जिला, उपखण्ड अथवा तहसील, जैसी भी स्थिति हो, के प्रशासन में मुख्य कार्याधिकारी का अस्थायी रूप से अनुगम करता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार की आज्ञा निकलने तक राज्य में लागू किसी विधि के द्वारा उसके अधीन आयुक्त अथवा जिलाधीश अथवा उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर आरोपित समस्त कर्तव्य का पालन करेगा।

29. अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति –

जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो –

(क) उसके मुख्यालय में काम करने वाले समान श्रेणी का अन्य कोई अधिकारी अथवा यदि समान श्रेणी (ग्रेड) का कोई अधिकारी न हो, तो इस प्रकार काम करने वाला उच्चतर श्रेणी (ग्रेड) का अन्य कोई अधिकारी अथवा यदि वहां ऐसा उच्चतर अधिकारी न हो तो इस प्रकार काम करने वाला निम्नतर श्रेणी का अन्य कोई अधिकारी अपने सगान कर्तव्य को बिना त्यागे, अनुपस्थित अधिकारी के पद का कार्यभार (चार्ज) सम्भालेगा तथा उसका प्रभारी (इन्चार्ज) बना रहेगा जब कि पद का कार्यभार उसके लिए विधिवत् नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं सम्भाल लिया जाए तब ऐसे समय तक अनुपस्थित अधिकारी के नित्य प्रति (रूटीन) के कर्तव्यों का पालन करेगा।

Scanned by CamScanner

(ख) यदि समान, उच्चतर अथवा निम्नतर श्रेणी (ग्रेड) का कोई अधिकारी ऐसे मुख्यालय पर काम नहीं कर रहा हो अथवा वह स्वयं भी अनुपस्थित हो तो कार्यालय के मुख्य अनुसचिवीय कर्मचारी को समय-समय पर किसी मामले, मुकदमे अथवा कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार होगा।

इस प्रकार उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या रिक्त पद अस्थायी अथवा स्थायी है। इस बाबत सोच समझकर निर्णय लिया जाना चाहिए। अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में कार्यरत अधिकारी केवल नित्य प्रति (रूटीन) कर्तव्यों का ही पालन करेगा किन्तु यदि स्थायी (दीर्घ अवधि) की अनुपस्थिति है तो कार्यरत अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के समस्त कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। अस्थायी अनुपस्थिति के कुछ उदाहरण आकस्मिक अवकाश अथवा लघु उपार्जित अवकाश अथवा प्रशिक्षण आदि के कारण अनुपस्थिति जिसमें अनुपस्थित अधिकारी के कार्यभार संभालने की तिथि ज्ञात हो, हैं। यदि किसी पद पर अधिकारी का पदस्थापन ही नहीं हुआ है अथवा लम्बे समय तक रिक्त रहना सम्भावित है, तो यह स्थायी अनुपस्थिति की श्रेणी में आएगें।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय आयुक्त, समस्त।
2. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
5. राजस्व अपील अधिकारी, समस्त।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner